संख्या–629/सत्तर–1–2019–यू0ओ0 10/2019

प्रेषक,

डॉ0 अमित भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

विषय :– आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अध्ययन की प्रत्येक शाखा अथवा संकाय के सभी पाठ्यक्रमों में उपलब्ध कुल सीटों के सापेक्ष अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के सम्बन्ध में तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये वर्तमान में लागू योजना/नीति से आच्छादित नहीं है, को अध्ययन की प्रत्येक शाखा अथवा संकाय में उपलब्ध कुल सीटों के सापेक्ष अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किये जाने विषयक भारत का संविधान (एक सौ तीन संशोधन) अधिनियम, 2019 के क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–325/26–3–2019, दिनांक 22–1–2019 निर्गत किया गया है।

2. उपर्युक्त के सन्दर्भ में कार्मिक विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/2002/का0–2/19, टी0सी0–II दिनांक 18 फरवरी, 2019 के क्रम में अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये वर्तमान में लागू योजना/नीति से आच्छादित नहीं है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी हैं, को अध्ययन की प्रत्येक शाखा अथवा संकाय के सभी पाठ्यक्रमों में पृथक–पृथक अधिकतम 10 प्रतिशत तथा उपलब्ध कुल सीटों का अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण निम्नवत् व्यवस्था/मानकों के अधीन अनुमन्य किया जाय :–

(1) जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल वार्षिक आय रू0 8.00 लाख से कम होगी। समस्त स्रोतों से आय में वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से प्राप्त आय सम्मिलित होगी और यह आय आरक्षण हेतु आवेदन करन के वर्ष के पूर्व वर्ष की होगी। इस उद्देश्य के लिये लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के परिवार में उसके/उसकी माता–पिता व 18 वर्ष से कम आयु के भाई–बहन के साथ–साथ उसका/उसकी, पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के उसके बच्चे सम्मिलित होंगे।

(2) ऐसे व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में पात्र नहीं होंगे :–

(अ) जिनके परिवार के स्वामित्त अथवा कब्जे में 05 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि हो, या

(ब) 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्र का आवासीय फ्लैट हो, या

(स) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या अधिक क्षेत्र का आवासीय भू–खण्ड हो, या

(द) अधिसूचित नगर पालिकाओं के क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या अधिक क्षेत्र का आवासीय भू–खण्ड हो, या

(3) परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा।

(4) प्रदेश में उत्कृष्टता प्राप्त अनुसंध संस्थान, द सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूशन (रिजर्वेशन इन एडमिशन) एक्ट, 2006 के अन्तर्गत इन्स्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एण्ड स्ट्रेटजिक इम्पॉरटेन्स जिन्हें भारत सरकार के आफिस मेमोरेन्डम दिनांक 17.01.2019 में सम्मिलित किया गया है उन पर यह आरक्षण व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी।

(5) प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान प्रत्येक शाखा में निर्धारित वार्षिक सीटों की संख्या में आर्थिक रूप कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के उपरान्त समक्ष प्राधिकारी की पूर्वानुमति से सीटों की संख्या में वृद्धि करेगे, जो शैक्षणिक सत्र के तुरन्त बाद से पहले प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध ऐसी सीटों की संख्या से कम न हो।

(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये शैक्षणि संस्थानों में आरक्षण की प्रस्तावित व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2019–20 से लागू होगी।

उक्त आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1975 की धारा 66–क के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्गत किया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु प्रवेश के लिये आरक्षण की व्यवस्था उपर्युक्त मानकों के अनुसार सुनिश्चित की जाय।

ह0/–
(डॉ0 अमित भारद्वाज)
संयुक्त सचिव

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पृष्ठांकन : – पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता/07–(तीन)/2019/ 6904 दिनांक : 23.07.19

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. डॉ0 अमित भारद्वाज, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र संख्या–629/सत्तर–1–2019 –यु0ओ0 10/2019, दिनांक 03 जुलाई, 2019 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, परिसर पाठ्यक्रम को सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
4. चीफ प्राक्टर।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को सूचनार्थ।
6. प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त महाविद्यालय, सम्बद्ध वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
7. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
8. वेबमास्टर, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

23/07/19
कुलसचिव